झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02.त0शि0/योजना–06/2024 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

विषयः– **झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद (JCSTI) के को–ऑर्डिनेशन भवन में फर्निशिंग कार्य के निमित प्राक्कलित राशि रू0 44,00,000/– (रू0 चौवालीस लाख) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के परिसर में अवस्थित झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद के को–ऑर्डिनेशन भवन का जीर्णोद्वार कार्य किया गया है। उक्त भवन में फर्निशिंग कार्य हेतु कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का पत्रांक 3038(नि) दिनांक 16.12.2024 के द्वारा तकनीकी अनुमोदित राशि रू0 48,14,600/–(रू0 अड़तालीस लाख चौदह हजार छः सौ) मात्र का प्राक्कलन प्राप्त कर विभागीय पत्रांक 39/योजना दिनांक 27.12.2024 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त भवन में फर्निशिंग कार्य हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को कोई भी राशि विमुक्त नहीं की गयी है। कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का पत्रांक 2410(नि) दिनांक 18.09.2025 द्वारा विषयांकित कार्य के विपत्र भुगतान हेतु राशि की अधियाचना की गयी है।

अतः उक्त तथ्यों एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 18/योजना दिनांक 10.10.2025 के आलोक में झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के परिसर में अवस्थित झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद (JCSTI) के को–ऑर्डिनेशन भवन में फर्निशिंग कार्य से संबंधित स्वीकृत योजना के निमित चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल राशि रू0 44,00,000/– (रू0 चौवालीस लाख) मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी। विपत्र कोड – 43S42020210506010545

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।

5. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।

7. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

8. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।

9. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की यह जिम्मेवारी होगी कि PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।

11. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।

12. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 02.त0शि0/योजना–06/2024 /राँची, दिनांकः–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 02.त0शि0/योजना–06/2024 – 16/बजट /राँची, दिनांकः– 17/10/2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कुलसचिव, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय/विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्/बजट पदाधिकारी/नोड़ल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/X/25

सरकार के अपर सचिव